भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTA

E 353742

- 1 -

विक्रय पत्र भूमिधरी (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)
कार्यालय सब रजिस्ट्रार प्रथम मेरठ
(लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण)

1- भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि।
2- वार्ड परगना :- मेरठ।
3- मोहल्ला / ग्राम :- ग्राम. सालारपुर जलालपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ।
4- सम्पत्ति का विवरण :- खसरा नं0 346 , 352/3, 353/2 मे से
5- मापन की इकाई व क्षेत्रफल :- 0.0157 हैक्टेयर भूमि।
6- सडक की स्थिति :- नही है।
7- सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि।
8- बहुमंजिला भवन की स्थिति मे :- नही है।
9- पेडो का मूल्यांकन :- नही है।
10- बोरिंग/कुआ/अन्य :- नही है।
11- प्रतिफल की धनराशि :- 63,000/- रूपये।

प्रथम पक्ष की संख्या (1) विक्रेत्री का विवरण :-

1- श्रीमती राजेश देवी धर्मपत्नि जयवीर सिंह निवासी- ग्राम रजपुरा परगना व तहसील व जिला मेरठ। व्यवसाय :- गृहणी।

द्वितीय पक्ष की संख्या (1) क्रेता का विवरण :-

1- श्री जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री ब सिंह निवासी- 184 बी, आबूलेन मेरठ कैण्ट व्यवसाय :- व्यापार।

क्रमांक 156

1000/- (रुपयों में) एक हजार सिर्फ

श्री जय प्रकाश अग्रवाल पु० श्री बलवन्त सिंह

184-B आशुतोष [illegible]

के नाम

एवं स्टाम्प बेचने

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाइसेंस संख्या/वर्ष

विक्रय स्थान का नाम

विक्रय का दिनांक 29/7/08.

[illegible] -49/01-08

स्टाम्प विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 029081

विक्रीत भूमि-भूमिधरी अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तगर्त स्थित है।

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन 4410/- रूपये कि जिसमे से अंकन 2570/- रूपये का स्टाम्प द्वारा इकरारनामा रजिस्ट्री शुदा दिनांक 27-05-2008 ई0 दिया जा चुका है कि जिसकी रजि0 वही संख्या 1 जिल्द 6082 के पृष्ठ 271/286 पर क्रम संख्या 5242 पर दिनांक 27-05-2008 ई0 कार्यालय सब रजिस्ट्रार प्रथम मेरठ मे पंजीकृत है, तथा शेष अंकन 2000/- रूपये का जनरल स्टाम्प शुल्क आज बरवक्त बैनामा अदा किया जा रहा है।

1. विक्रीत भूमि-भूमिधरी का **विक्रय मूल्य व बाजारी मूल्य अंकन 63,000/- तरेसठ हजार रूपये।**
2. विक्रीत भूमि-भूमिधरी की जमीन किस्म सेवटा अव्वल आवी है, जिसका सर्किल रेट अंकन 40,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है, जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।
3. विक्रीत भूमि-भूमिधरी खेती की भूमि है तथा खेती के लिये ही विक्रय की जा रही है।
4. विक्रीत भूमि-भूमिधरी किसी राष्ट्रीय राज्य मार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंग मार्ग पर स्थित नही है।
5. विक्रीत भूमि-भूमिधरी की सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। जो शामिले बय नही है। दो फसली है कोई बाग या पेड आदि नही है।
6. विक्रीत भूमि-भूमिधरी को विक्रय करने की अनुमति विक्रेत्री ने सोलह ए0 डी0 जे0 मेरठ के न्यायालय से वाद संख्या 10/2008 श्री राजेश बनाम् जयवीर दिनांक 26-07-2008 ई0 को प्राप्त कर ली है।
7. विक्रेत्री व क्रेता सहखातेदार है।

राजेश

157 — 156

500/-

बतौर

कैलाश कुमार जैन

29/7/08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 907731

25 JUL 2008

8. उ0 प्र0 सरकार द्वारा शासनादेश संख्या वि0 क0 नि0 -5- 2756/ 11-2008 -500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30/6/2008 के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत नियमानुसार अदा किया गया है।
9. विक्रेत्री व क्रेता भारतीय नागरिक है।
10. विक्रेत्री व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नही है।

हमकि श्रीमती राजेश देवी धर्मपत्नि जयवीर सिंह बहैसियत वली व संरक्षिका नाबालिग अंकित सिवाच उम्र 16 साल पुत्र श्री जयवीर सिंह निवासीगण- ग्राम रजपुरा परगना व तहसील व जिला मेरठ इजाजत याफता न्यायालय सोलह ए.डी.जे. मेरठ वाद नम्बर 10 सन् 2008 राजेश बनाम् जयवीर आदेश दिनांक 26-7-2008 ई0 ....प्रथम पक्ष।(विक्रेत्री)

एंव

श्री जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह निवासी- 184 बी, आबूलेन मेरठ कैण्ट...द्वितीय पक्ष।। (क्रेता)

जो कि अपना कुल हक व हिस्सा अर्थात 1/24 भाग अज खाता खतौनी संख्या 00074 सालिम नम्बरान खसरा 346/1, क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर व 352/3 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर व 353/2 क्षेत्रफल 0.1470 हैक्टेयर कुल नम्बरान 3 कुल क्षेत्रफल 0.3770 हैक्टेयर लगानी 18 रूपये 67 पैसे सालाना <u>हिस्से का क्षेत्रफल 0.0157 हैक्टेयर</u> भूमि-भूमिधरी लगानी सालाना सरकारी 78 पैसे, स्थित ग्राम सालारपुर जलालपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ की प्रथम पक्ष काश्तकार भूमिधर एक मात्र स्वामी व विक्रयाधिकारणी है, तथा प्रथम पक्ष विक्रेत्री के नाबालिग पुत्र का नाम राजस्व अभिलेखो मे स्वामी व मालिक के रूप मे दर्ज चला आ रहा है,

राजेश

158 — 156

100/-

२९/7/08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 JUL 2008 L 907732

और उपरोक्त विक्रीत भूमि-भूमिधरी आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि व बन्धक आदि से मुक्त एंव रहित है। तथा विक्रय करने की अनुज्ञा न्यायालय सोलह ए.डी.जे. मेरठ वाद संख्या 10 सन् 2008 दिनांक 26-7-2008 ई0 प्राप्त कर ली है, मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने मे ही लाभ व हित है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेत्री ने बहैसियत वली नाबालिग मजकूर उक्त भूमि-भूमिधरी को अपने सारे ही अधिकार तथा आधिपत्य व स्वामित्व आदि व काश्त व भूमिधरी सहित स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था मे **अंकन 63,000/- तरेसठ हजार रूपये** कि जिसके **आधे अंकन 31,500/- इकत्तीस हजार पांच सौ रूपये** होते है, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य मे हस्ते **श्री जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बलवन्त सिंह निवासी- 184 बी, आबूलेन मेरठ कैण्ट** क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया है, और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विक्रेत्री ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्नलेखानुसार प्राप्त करके, उक्त भूमि-भूमिधरी को अपने सारे ही अधिकार, स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि व काश्त व भूमिधरी मे देकर द्वितीय पक्ष क्रेता को व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी भांति मालिक काबिज व स्वामी व भूमि-जोत अधिकारी बना दिया है, उपरोक्त भूमि-भूमिधरी का कब्जा कतई खाली का मौके पर प्रथम पक्ष विक्रेत्री ने द्वितीय पक्ष क्रेता को बजरिये बो जोत करा दिया है, तथा द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि-भूमिधरी को राजस्व अभिलेखो मे अपना नाम मालिक व स्वामी के रूप मे दर्ज करा ले। अब द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि-भूमिधरी को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग मे लाये जिसमे प्रथम पक्ष विक्रेत्री को अब या भविष्य मे कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेत्री प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध उक्त भूमि-भूमिधरी से किसी प्रकार का शेष नही रहा और न ही भविष्य मे होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ कि यह विक्रय पत्र पूर्णतः सत्य तथा दोष मुक्त है। यदि मुझ विक्रेत्री

159 — 156
1001

29/7/08

विक्रय पत्र

63,000.00/	63,000.00	1,260.00	20	1,280.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती राजेश देवी
पुत्र / पत्नी श्री पत्नी जय वीर सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम रजपुरा, मेरठ।
अस्थायी पता ग्राम रजपुरा, मेरठ।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 31/7/2008 समय 1:11PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राजेश

सब रजिस्ट्रार, मेरठ।
मेरठ

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त 31/7/2008

विक्रेता
श्री/श्रीमती राजेश देवी
पुत्र/पत्नी श्री पत्नी जय वीर सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम रजपुरा, मेरठ।

राजेश

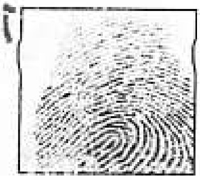

क्रेता
श्री/श्रीमती जय प्रकाश अग्रवाल
पुत्र/पत्नी श्री बलवन्त सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 184 बी- आबूलेन, मेरठ।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री योगेन्द्र सिंह
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी

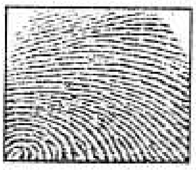

व श्री जय वीर सिंह
पुत्र श्री ईश्वर सिंह
पेशा व्यापार
निवासी रजपुरा, मेरठ

जयवीर सिंह

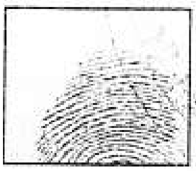

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

सब रजिस्ट्रार, मेरठ।
मेरठ

31/7/2008

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 907733

प्रथम पक्ष के किसी सम्बन्धी सहभागी या उत्तराधिकारी के वाद वश अथवा आज से पूर्व के किसी वैधानिक दोषवश उक्त विक्रीत भूमि-भूमिधरी अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार स्वामित्व व आधिपत्य आदि व काश्त व भूमिधरी से निकल जायेगा या कोई ऋण तथा भार सरकारी या गैर सरकारी पाया जायेगा या विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा खण्डित करार पाया जायेगा या द्वितीय पक्ष क्रेता का दाखिल खारिज कागजात माल मे न होवे तो ऐसी प्रत्येक दशा मे क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो क्षति व हर्जा व खर्चा, बयनामा मय सूद कानूनी न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेत्री की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। जिसमे मुझ प्रथम पक्ष विक्रेत्री तथा मेरे वारिसान को कोई आपत्ति अब या भविष्य मे नही होगी। अतः यह विक्रय पत्र भूमिधरी स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था मे लिख दिया ताकि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

विवरण प्राप्त धनराशि।

1. अंकन 30,000/- तीस हजार रूपये द्वारा इकरारनामा रजिस्ट्री शुदा दिनांक 27-05-2008 ई0 को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है।
2. द्वितीय पक्ष ने दिनांक 31-07-2008 को न्यायालय के आदेशानुसार मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रजपुरा मेरठ मे एफ.डी.आर. मे जमा किये अंकन 31,500/- रूपये।
3. अंकन 1500/- एक हजार पांच सौ रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद समक्ष सबरजिस्ट्रार मेरठ प्राप्त किये।

कुल प्राप्त धनराशि अंकन 63,000/- तरेसठ हजार रूपये।

२।०।२।

160 ← 156

100/-

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाईसेन्स संख्या/वर्ष

विक्रय स्थान का नाम

विक्रय का दिनांक विक्रेता

29/7/08

Registration No 7781 Year : 2008 Book No. 1

0101 राजेश देवी

पत्नी जय वीर सिंह

ग्राम रजपुरा, मेरठ।

गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपयें **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 907734

25 JUL 2008

मेरठ

-6-

प्रथम पक्ष के बायें हाथ की उंगलियों के चिन्ह :--

दायें हाथ की उंगलिया के चिन्ह :--

द्वितीय पक्ष के बायें हाथ की उंगलियों के चिन्ह

161 — 156

क्रेता

29/7/08

Registration No. 7781 Year : 2008 Book No. 1

0201 जय प्रकाश अग्रवाल

बलवन्त सिंह

184 बी- आबुलेन,मेरठ।

व्यापार

31-7-08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपयें **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 907735

25 JUL 2008

-7-

दायें हाथ की उंगलियों के निशान :--

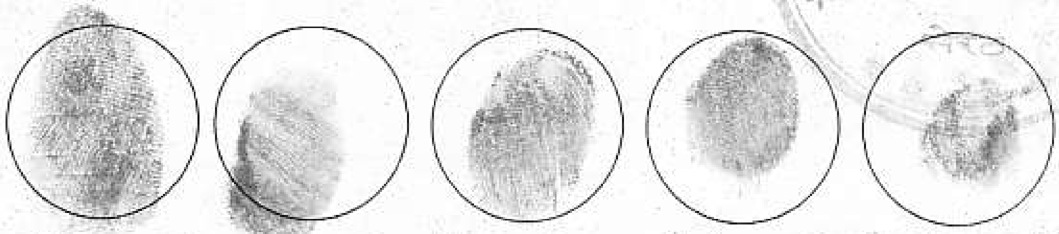

नोट- खसरा नम्बर ३४६।१ में रकबई ००६० हैक्टेयर भूमि में नवीन परती खसरे में दर्ज है जिसका रकिया बैनामे हाजा की विक्रीत भूमि में शामिल क्रय नहीं है। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है और कृषि हेतु क्रय की जा रही है।

राजेश

गा० जयपाल सिंह
पु० ईश्वर सिंह
नि० ग्राम रजपुरा जि० मे-6

तहरीर तारीख :-31-07-2008 ई0 मसविदा श्री रज़ी अख्तर सब्ज़वारी एडवोकेट मेरठ।

क्रमांक 162 — 156

(आपकी के)

स्टाम्प 100/-

नाम

लेखपत्र का प्रकार

एवं स्टाम्प बेचने

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाईसेन्स संख्या/वर्ष

विक्रय स्थान का नाम

विक्रय का दिनांक 29/7/08

आज दिनांक **31/07/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **6224**

पृष्ठ सं. **375** से **392** पर क्रमांक **7781**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार, मेरठ।

मेरठ

31/7/2008

शिजरा प्लाट:- ग्राम उर्फ जलालपुर

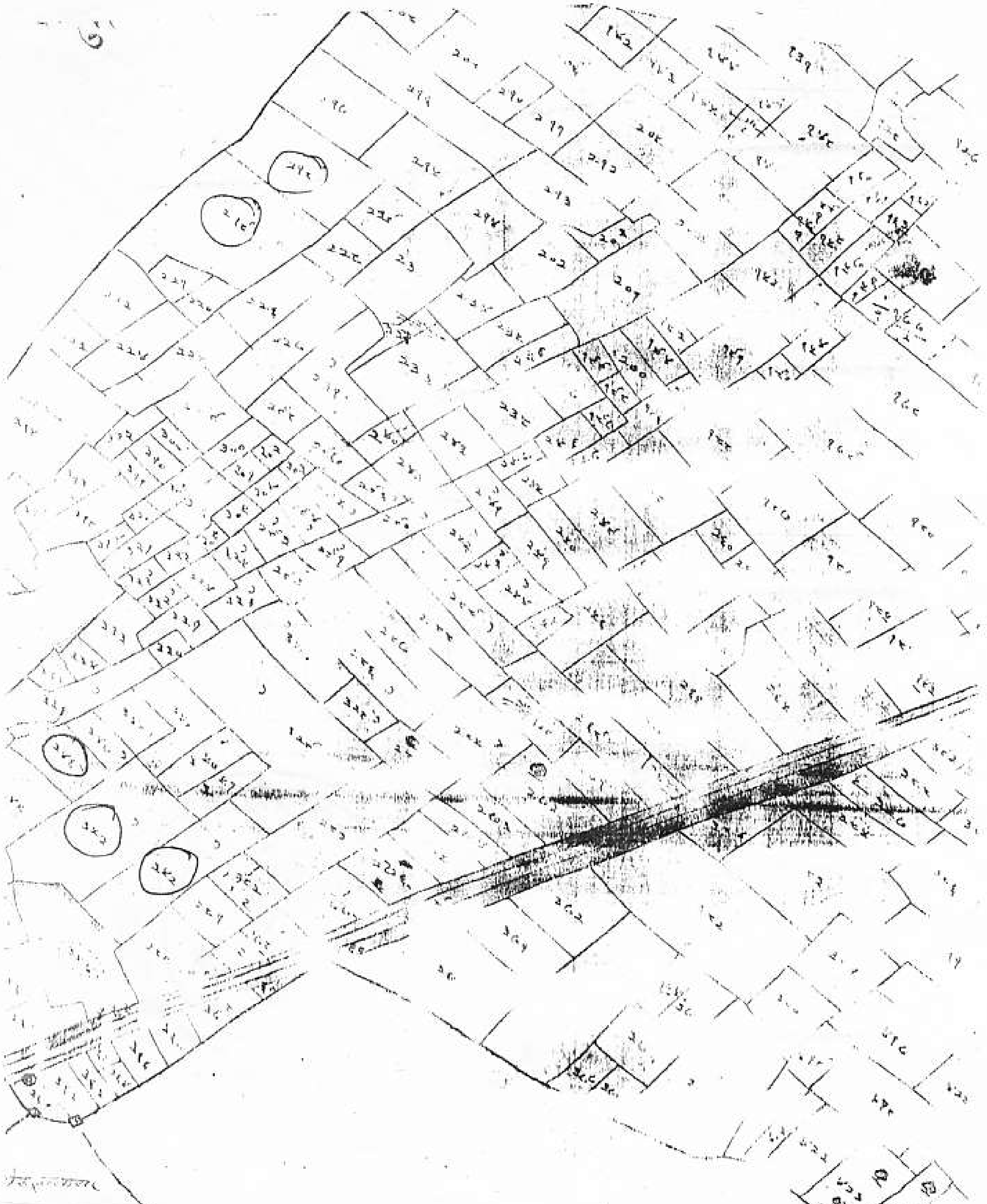

नक्शा नजरी

बैनामा मालियत / बाजारी मालियत ....

विक्रेता का नाम व पता ....

क्रेता का नाम व पता ....

सम्पत्ति स्थित मौजा ....

विक्रित प्लाट / भवन / दुकान / खसरा संख्या ....

उत्तर

विक्रित भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क ....
2. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन / औद्योगिक ....
3. शैक्षिक / धर्मार्थ / स्वास्थ्य केन्द्र ....
4. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज ....
5. गैस गोदाम / पैट्रोल पम्प / बस अड्डा ....
6. होटल रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र ....
7. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय ....
8. अन्य ....

घोषणा :– किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक :

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

फार्म उपलब्ध –ओ.के. फोटो स्टेट कचहरी मेरठ। फोन नं0 9412105014

1307
12-5-08

J.P. Agg